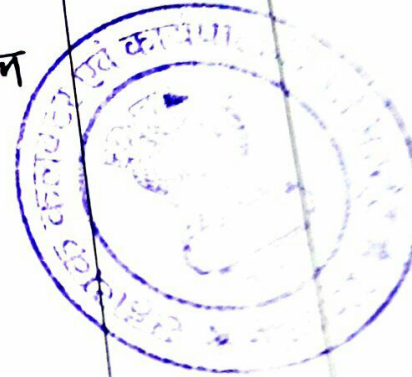


25/2018

आज यह पत्रावली ~~बिना~~ वादी द्वारा जपनी पत्र
पेश करने पर पेशी में ली गयी। जपनी पत्र
में निवेदन किया गया है कि वाद में आपसी
सहमति बन जाने के कारण जपनी वादी आगे
वाद चलाता नहीं चाहता है। वाद आज ही पेशी
में ली जाया बिना करने का निवेदन किया गया
है। जपनी वादी की पहचान उनके वकील की
किनप कोथरा द्वारा की गयी है। जपनी वादी
का पत्र लीया जा रहा है इसका
जपनी बिना खारीज किया जाता है पत्रावली
केसल सुमा होकर वाद तरीक तयमील
दारीवल दफ्त हो।

महोदय
महायुक्त कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बोकारो



Singh
पहचान
Singh
(Vikram Singh)

mal